रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 143] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 14, 1970/चैत्र 24, 1892
No. 143] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 14, 1970/CHAITRA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th April 1970

S.O. 1394.—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri Girraj Saran Singh *alias* Batchoo Singh, a member elected to that House from 74 Mathura parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 23rd May, 1970, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the said vacancy.

[No. 100/UP-HP/6/69(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अप्रैल 1970

एस० ओ० 1394.—यतः उत्तर प्रदेश राज्य के 74–मथुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित श्री गिर्राजसरन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उस सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 23 मई 1970 से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100–उ० प्र०–लो० स०/6/69(1)]

S.O. 1395.—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 74-Mathura parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh in pursuance of its notification No. 100/UP-HP/6/69(1), dated the 14th April, 1970,—

(a) the 21st April, 1970 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 22nd April, 1970 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 24th April, 1970 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 17th May, 1970 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken· and

(e) the 23rd May, 1970 (Saturday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/UP-HP/6/69(2).]

एस० ओ० 1395.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना संख्या 100/उ० प्र०–लो० स०/6/69(1) तारीख 14 अप्रैल 1970 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राज्य के 74–मथुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में—

(क) नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	21 अप्रैल 1970 (मंगलवार)
(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	22 अप्रैल 1970 (बुधवार);
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	24 अप्रैल 1970 (शुक्रवार)
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा	17 मई 1970 (रविवार); तथा
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा।	23 मई 1970 (शनिवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/उ० प्र०–लो स०/6/69(2)]

S.O. 1396.—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the House of the People from 74-Mathura parliamentary constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/UP-HP/6/69(1), dated the 14th April, 1970.

[No. 100/UP-HP/6/69(3).]

एस० ओ० 1396.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उ० प्र०–लो० स० /6/69(1) तारीख 14 अप्रैल, 1970 के अनुसरण में लोक सभा के लिए 74–मथुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा ।

[सं० 100/उ० प्र० लो० स०/6/69(3)]

S.O. 1397.—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri Dig Vijay Nath, a member elected to that House from 38-Gorakhpur parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 23rd May, 1970, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the said vacancy.

[No. 100/UP-HP/5/69(1).]

एस० ओ० 1397.—यतः उत्तर प्रदेश राज्य के 38—गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित श्री दिग्विजय नाथ की मृत्यु हो जाने के कारण उस सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 23 मई, 1970 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ।

[सं० 100/उ० प्र०–लो० स०/5/69(1)]

S.O. 1398.—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representatiion of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 38-Gorakhpur parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh in pursuance of its notification No. 100/UP-HP/5/69(1), dated the 14th April, 1970,—

(a) the 21st April, 1970 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 22nd April, 1970 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 24th April, 1970 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 17th May, 1970 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken· and

(e) the 23rd May, 1970 (Saturday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/UP-HP/5/69(2).]

एस० ओ० 1398.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं०–100/उ० प्र०–लो०स०/5/69(1), तारीख 14 अप्रैल, 1970 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राज्य के 38—गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में—

(क) नाम निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 21 अप्रैल, 1970 (मंगलवार) ;

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख 22 अप्रैल, 1970 (बुधवार) ;

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख 24 अप्रैल, 1970 (शुक्रवार) ;

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा 17 मई, 1970 (रविवार) ; तथा

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जायगा 23 मई, 1970 (शनिवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० उ० प्र०–लो० स० /5/69(2)]

S.O. 1399.—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the House of the People from 38-Gorakhpur parliamentary constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/UP-HP/5/69(1), dated the 14th April, 1970.

[No. 100/UP-HP/5/69(3).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

एस० ओ० 1399.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना संख्या सं०–100 /उ० प्र०–लो० स०/5/69 (1), तारीख 14 अप्रैल, 1970 के अनुसरण में लोक सभा के लिए 38–गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा।

[सं० उ० प्र०–लो० स०/5/69(3)]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970